निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

119— मारवाड जंक्शन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री खुशवीरसिंह,

रावला जोजावर, पोस्ट- जोजावर, तहसील- मारवाड़ जंक्शन जिला- पाली, निर्दलीय

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थान : पाली

दिनांकः 11 दिसम्बर, 2018

(अश्वन के पंवार) रिटर्निंग ऑफिसर

119— मारवाड जंक्शन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड जंक्शन)

रिटर्निंग अधिकारी क्यानसभा मारवाड़ जंक्तन (119)

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

Form 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of

RAJASTHAN From 119- MARWAR JUNCTION Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Mr. KHUSHVEER SINGH

RAWLA JOJAWAR, POST- JOJAWAR, TEHSIL- MARWAR JUNCTION, DISTRICT-PALI,

Independent has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: PALI

Dated: 11 December, 2018

(Ashwin K. Panwar)

Returning Officer

119- Marwar Junction Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Marwar Junction)

(Ashwin K Panwar)

Returning Officer
119-Marwar Junction Assembly Constituting (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magnetate)

Africa a Suu Divisural Magasata

Marwar Junction